न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 107 / 2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमी0वि0अधि0

राजपाल पुत्र श्री हरि सिंह निवासी ग्राम चन्दपुरी बांगर परगना गोर्धनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

बनाम

1. ग्रामसभा चन्दपुरी बांगर परगना गोर्धनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा ग्राम प्रधान ग्रामसभा चन्दपुरी बांगर परगना गोर्धनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।
2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री ललित कुमार उपाध्याय।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, लक्सर जनपद–हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–124 / 2013–14 / राजपाल बनाम ग्राम सभा आदि अर्न्तगत धारा–229बी ज0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 06–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में इस निगरानी की पृष्ठभूमि इस प्रकार है :–

दिनांक 09–12–2013 को निगरानीकर्ता / वादी द्वारा एक घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 भूमि खाता संख्या–75 खसरा नम्बर–70 / 1 क्षेत्रफल 0.786 हे0 स्थित ग्राम चखेरी परगना गोर्धनपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के सम्बन्ध में दीर्घकालीन प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर योजित किया गया। उत्तरदातागण / प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में अन्य अभिकथनों के सहित वर्णित ग्राम जंहा वादग्रस्त भूमि स्थित है, के चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, लक्सर को क्षेत्राधिकार न प्राप्त होने का अभिवचन भी प्रस्तुत किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, लक्सर द्वारा उत्तरदातागण / प्रतिवादीगण के प्रतिवाद पत्र के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अभिवचन को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में ग्रहण कर एवं उभयपक्षों को सुनकर आक्षेपित आदेश द्वारा यह अवधारित किया गया कि सम्बन्धित ग्राम में चकबन्दी हेतु अधिसूचना / विज्ञप्ति धारा–4(2) उ0प्र0जो0चक0अधि0 1953 दिनांक 08–05–2003 को हो चुकी है एवं आलोच्य वाद उक्त अधिसूचना / विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दस वर्ष के बाद योजित किया गया है, अतः धारा

49 जो जोत चकबन्दी अधिनियम के प्राविधानानुसार राजस्व न्यायालय को आलोच्य वाद ग्रहण नही करना चाहिए अर्थात उसे उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है तदनुसार उनके द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि आलोच्य वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया जाता है एवं वादी सक्षम चकबन्दी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वर्तमान निगरानी इसी आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को सविस्तार सुना एवं संगत अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मुख्य तर्क ये है कि आक्षेपित आदेश के द्वारा वाद धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम के प्राविधानानुसार वाद निरस्त किया जाना विधिसम्मत नही है क्योंकि वाद धारा 5(2) क के अन्तर्गत उपशमित होता है, कि धारा 4(2) की अधिसूचना/विज्ञप्ति निर्गत होने के उपरान्त भी अभी तक चकबन्दी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई है न ही अभिलेखों का स्थानान्तरित किया गया है, कि वाद निरस्त किये जाने से विवादित भूमि के सम्बन्ध में उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण द्वारा निगरानीकर्ता/वादी के हित के विरूद्ध की जाने वाली सम्भावित अन्तरिम कार्यवाहियों को रोकने के लिए वाद का उपशमन आवश्यक है एवं वाद निरस्त होने की स्थिति में निगरानीकर्ता/वादी के हित के विरूद्ध उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की स्थिति परिवर्तित करने का प्रयास किया जा सकता है, कि विद्वान सहायक कलेक्टर या तो वाद को उपशमित करते अथवा वाद पत्र वापस करते या वाद ग्रहण ही नही करते।

दूसरी ओर उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व देहरादून ने तर्क किया कि चकबन्दी क्रियाओं सम्बन्धी अधिसूचना/विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा 4(2) जोत चकबन्दी अधिनियम जारी होने के दस वर्ष बाद आलोच्य वाद योजित कर उसके उपशमन की अपेक्षा करना विधिसमत नही है क्योंकि धारा 5(2) के अन्तर्गत उपशमन अधिसूचना/विज्ञप्ति की तिथि पर लम्बित/विचाराधीन कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने विधिक स्थिति का सम्पूर्णता में उल्लेख कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसके आधार पर निगरानी आधारहीन है एवं स्वीकारणीय नही है।

ग्राम सभा चखेरी परगना गोर्धनपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के सम्बन्ध में धारा 4(2) जोत चकबन्दी अधिनियम की अधिसूचना/विज्ञप्ति दिनांक 08–05–2003 को प्रकाशित होने के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। यह भी निर्विवाद है कि आलोच्य वाद दिनांक 09–12–2013 को प्रस्तुत हुआ अर्थात अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(2) जोत चकबन्दी अधिनियम प्रभावी होने के दस वर्ष उपरान्त ही योजित हुआ। धारा 5(2) क जोत चकबन्दी अधिनियम जो निम्नवत् हैः–

"अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारी या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती

हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन, या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जायेगा''

मैं यह स्पष्ट किया गया है कि किसी ऐसे वाद अथवा कार्यवाही अथवा ऐसे अन्य किसी अधिकार जिसके सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो अथवा की जानी चाहिए यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो चाहे ऐसा वाद अथवा कार्यवाही प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश अथवा पुनरीक्षण स्तर पर हो इस सम्बन्ध में आदेश पारित किये जाने पर ऐसा वाद/कार्यवाही उपशमित हो जायेगी। धारा–5(2)क की व्यवस्था तदनुसार विचाराधीन ऐसे वादों/कार्यवाहियों पर लागू होती है जो धारा 4(2) की अधिसूचना/विज्ञप्ति पर लम्बित हों। उक्त व्यवस्था में शब्द 'विचाराधीन' अति महत्वपूर्ण है। आलोच्य वाद विज्ञप्ति दिनांक 08–05–2003 के दस वर्ष के बाद योजित हुआ है अर्थात प्रश्नगत अधिसूचना/ विज्ञप्ति के जारी होते समय आलोच्य वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं था। अतः मैं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नही हूँ कि आलोच्यवाद धारा 5(2)क के अन्तर्गत उपशमित होता है। यह भी सम्भव है कि वाद उपशमन का लाभ लेने के लिए ही धारा 4(2) जोत चकबन्दी अधिनियम की अधिसूचना/विज्ञप्ति जारी होने के दस वर्ष बाद वाद प्रस्तुत किया गया हो।

दूसरी ओर धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम को देखें तो स्पष्ट होता है कि न केवल खातेदारों के अधिकारों अथवा किसी अन्य ऐसे अधिकारों का प्रख्यांपन तथा निर्णय जो कि चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में चकबन्दी अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी अपितु किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, के लिए कार्यवाही चकबन्दी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की जायेगी एवं दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय किसी ऐसे वाद या कार्यवाही को ग्रहण नही कर सकेगा। यह सही है कि आलोच्य वाद के वाद पत्र में याचित अनुतोष का सम्बन्ध चकबन्दी क्रियाओं से नही है परन्तु चकबन्दी क्रियाओं हेतु अधिसूचना/विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा 4(2) प्रभावी होने के उपरान्त चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में स्थित भूमि से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार चकबन्दी प्राधिकारियों/न्यायालयों का स्थान्तरित हो जाता है अर्थात राजस्व प्राधिकारियो/न्यायालयों को इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नही रह जाता है। तदनुसार आलोच्य वाद विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा ग्रहण किया ही नही जा सकता था, यदि वाद ग्रहण ही नही होता था तो उसके उपशमन का प्रश्न ही नही उठता है। मैं इस आधार पर भी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तद्सम्बन्धी तर्क में कोई गुण (merit) नही पाता हूं।

एक दृष्टि आलोच्य निर्णय/आदेश पर डालें तो विद्वान सहायक कलेक्टर, लक्सर ने इस सम्बन्ध में उठाये गये विधिक बिन्दु पर अति विस्तृत रूप से विचार एवं

विश्लेषण किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने न केवल विधिक प्राविधानों का सविस्तार विश्लेषण किया है अपितु दो न्यायिक दृष्टान्तों का भी विस्तारपूर्वक प्रखरता एवं गहनता से विश्लेषण किया है जिसका निष्कर्ष विधिसम्मत है जिसके विरूद्ध न तो निगरानी पत्र में न ही निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई विपरीत तथ्य प्रस्तुत किया गया है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद निरस्त कर सक्षम चकबन्दी न्यायालय में पुनः वाद दायर करने के विकल्प को भी खुला रखा है जो आशयतः वाद पत्र वापस करने का प्रभाव रखता है। तदनुसार निगरानी गुण रहित (without merit) एवं बलहीन है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18–04–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।